

06/05/2026

2661/2022

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० उपस्थित।

आरोपीगण अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपीगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपीगण को जारी गिरफ्तारी वारंट तामिल/अदम तामिल वापस प्राप्त नहीं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण दिनांक 01/05/2025 से हस्तगत प्रकरण में अनुपस्थित है।

प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण की निकट भविष्य में मिलने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में प्रकरण अभियुक्तगण की प्रतीक्षा हेतु प्रकरण अनंत काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। अतः, आरोपीगण 01. ललन राम, पिता-स्व० नयन साय, उम्र-55 वर्ष, 02. जोना, पिता-बली राम, उम्र-20 वर्ष, 03. बली राम, पिता-स्व० नयन साय, उम्र-50 वर्ष, सभी निवासी ग्राम- झूमरपारा, चौकी- करंजी, थाना- बिश्रामपुर, जिला- सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को प्रकरण में फरार घोषित किया जाता है।

अतः, अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के माध्यम से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर प्रकरण अभिलेख को लाल रंग की स्याही से सुरक्षित रखने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/-

{रुचि ए० मिश्रा }

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

सूरजपुर {छ.ग.}